

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी० ए० संख्या-50/2020

बिष्णुदेव कुमार यादव उर्फ विष्णुदेव कुमार यादव याचिकाकर्ता
बनाम्

झारखण्ड राज्य विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए: श्री अरविंद कु० चौधरी, अधिवक्ता ।

विपक्षी पक्ष के लिए : श्री रजनीश कुमार, ए०पी०पी० ।

02/15.01.2020 श्री अरविंद कु० चौधरी, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और श्री रजनीश कुमार, राज्य के लिए विद्वान ए०पी०पी० को सुना ।

याचिकाकर्ता शिकायत प्रकरण सं० 1503/2019 के संबंध में एक अभियुक्त है ।

याचिकाकर्ता को एक ऑटो रिक्शा से पकड़ा गया और 800 लीटर देशी शराब बरामद की गई ।

याचिकाकर्ता 07.11.2019 से हिरासत में है ।

अपराध की प्रकृति और हिरासत की अवधि के संबंध में, याचिकाकर्ता, जिसका नाम ऊपर है, को 10,000/- रू० (दस हजार रुपये) के बंधपत्र एवं समान राशि

के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, देवघर की संतुष्टि पर, शिकायत मामले संख्या 1503/2019 के संबंध में जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया जाता है।

(आर० मुखोपाध्याय, न्याया०)